Form No.III

App - A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी(पाली)

धारू व अन्य बनाम जतनो व अन्य

प्रार्थना-पत्र

मुकदमा 17 नम्बर 2022 सन् 2022

अन्तर्गत धारा 212 RT Act r/w 39 R 1 & 2 धारा 151 CPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	25/4/2022 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 C.P.C. के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत किया है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आयन्दा दिनांक 25/4/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	25/4/2022 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या (18) बरजू को छोड़कर समस्त नोटिस तामील शुदा प्राप्त हो शामिल पत्रावली किया जावे। प्रतिवादी संख्या 18 को पुन नोटिस सही पते सहीत P/F समस्त पेश करने पर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 23/5/2022 को पेश हो। मूल वाद मे (01) से (06) की ओर से वकालात नामा पेश है। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	23/5/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रा.. दिनांक 5/7/2022 को पेश हो। रीडर	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

19.03.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि मौजा ग्राम बदौड के खसरा नंबर क्रमशः 251, 252, 264, 265, 266, 81, 89, कुल रकबा 1.48 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि विद्यमान है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के पिता/दादा स्वर्गीय देवाराम पुत्र गलाजी सिरवी की 1/4 हिस्सा खातेदारी कब्जासुद रही है। स्वर्गीय देवाराम पुत्र गलाजी के चार पुत्रिया प्रार्थी संख्या 1 से 4 दो पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पिता स्वर्गीय शेषाराम है। पिता स्वर्गीय देवाराम की मृत्यु 2019 को तथा माता धनकी देवी की मृत्यु 2018 को ग्राम बदौड में हुई। माता–पिता की सेवा चाकरी प्रार्थी संख्या 1 ने की है। प्रार्थी संख्या 4 अपनी पत्नी के साथ व्यवसाय के कारण गुजरात में रहता है। अप्रार्थीगण 1 से 6 ने कभी भी देवाराम की सेवा चाकरी व देख रेख नहीं की। प्रार्थी संख्या 1 ने ही पिता व माता की पिछले 15 वर्षो से सेवा चाकरी की है। स्वर्गीय देवाराम की वादग्रस्त आराजी 1/4 हिस्सा खातेदारी कब्जासुद होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/24–1/24 हिस्सा यानी सभी प्रार्थीगण का कुल 5/24 वा हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का 1/24 हिस्सा बहैसियत उत्तराधिकारी व वारिसान के सहित खातेदारी कब्जासुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 मृत शेषाराम पुत्र देवाराम वारिसान है। जिससे वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण से संख्या 1 से 6 का 1/24 हिस्सा ही विद्यमान है। वादग्रस्त आराजी शेष 5/24 हिस्सा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासुदा है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया की वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं के व्यय से भूमि को समतल, व उपजाउ बनाया एवं सिंचाई हेतु पाईपलाइन बिछाई, व कुआ गहरा करवाया उक्त सत्यता के बावजूद अप्रार्थीगण ने सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को अकेले हड़पने की बदनियती से प्रार्थीगण से विवाद गलत शुरू किया है। प्रार्थी संख्या 1 के साथ अप्रार्थीगण तथा उसके सहयोगियों ने दिनांक 24.02.2022 को मारपीट की। बलपूर्वक बेदखल करने हेतु तोड़फोड कर नुकसान कारित किया। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से परेशान होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

में बाई मिटस एंड बाउण्ड बंटवाडा करवाकर अपना हक पृथक करवाना चाहते । प्रार्थीगण के हिस्से पर अप्रार्थीगण को बलपूर्वक, अवैध, बदेखली, नुकसानी करने का अधिकारी नहीं है। न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से अवैध कृत्य करने से रोकना आवश्यक है। प्रार्थीगण का वाद विभाजन व निषेधाज्ञा का है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 5/24 हिस्से में कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की बेदखली, हस्तक्षेप नहीं करे। न अवैध हस्नांतरण करे। न ही किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण उसके एजेंट को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।

अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मूल वाद का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/24–1/24 हिस्सा यानी सभी प्रार्थीगण का कुल 5/24 वां हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का 1/24 हिस्सा ही विद्यमान है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी संख्या 1 के साथ मारपीट करने, बलपूर्वक बेदखल करने एवं तोडफोड कर नुकसानी कारित करने का उक्त अवैध कृत्य किया जाना जाहिर है। पुलिस कार्यवाही हुई है। सभी अप्रार्थीगण एक होकर वादग्रस्त आराजी को अकेले हडपना चाहते है। जबकि समस्त प्रार्थीगण का वाद ग्रस्त आराजी में पुश्तैनी सह खातेदारी हक विद्यमान है।

प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूणीय क्षति तीनों न्याय के सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की जारी की जाती है प्रार्थीगण के 5/24 हिस्से में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण बेदखली, हस्तक्षेप नहीं करे, न ही हस्तानांतरण करें। एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
आदेश आज दिनांक 19.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner